आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय नियंत्रक
गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला – ऊधमसिंह नगर

पत्रांक : वि0नि0 / आयकर / 778 / 1636 दिनांकः नवम्बर 25, 2022

समस्त अधिष्ठता / निदेशक / विभागाध्यक्ष।

वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि में शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को **विश्वविद्यालय द्वारा वेतन / पेंशन (वि0वि0 से आहरित) / ऐरियर आदि के भुगतान** पर स्रोत पर औसत आयकर कटौती की जा रही है, जो कि वर्षभर की **सम्पूर्ण आयकर देयता** के सापेक्ष अपर्याप्त है, जबकि प्रायः यह भी देखने में आया है कि ऐरियर धनराशि के देयक तैयार करते समय **अद्यतन सकल आय के सापेक्ष** स्रोत पर समुचित आयकर की कटौती नहीं की जा रही है। पर्याप्त आयकर कटौती नहीं होने के कारण वर्ष के शेष माह के वेतन आदि से सकल देय आयकर की कटौती किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। आयकर के नियमान्तर्गत वेतन / ऐरियर / पेंशन (वि0वि0 से आहरित) से स्रोत पर ही सम्पूर्ण आयकर कटौती (TDS) किया जाना अनिवार्य है, जिसे **विश्वविद्यालय TAN के माध्यम से ही जमा किया जाना होता है। किसी भी दशा में आयकर की धनराशि नगद / चैक द्वारा बैंक में व्यक्तिगत रूप से जमा नहीं की जायेगी।**

नियंत्रक कार्यालय से पूर्व में निर्गत पत्रांकः वि.नि. / सी.पी.एस / 547 दिनांक 13.08.2020 के अनुसार वि0वि0 में माह अप्रैल 2019 से राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अर्न्तगत नियोक्ता का मासिक अंशदान 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत हो गया है। **राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अर्न्तगत विश्वविद्यालय का मासिक अंशदान 10 प्रतिशत तक आयकर की धारा 80CCD(2) में छूट अनुमन्य है। बढी हुई 4 प्रतिशत मासिक एवं पूर्व वर्षो के अंशदान के एरियर की धनराशि के सापेक्ष भी आयकर की कटौती की जानी है, अतः उक्त धनराशि को सकल आय में संयोजित करते हुए आयकर की गणना सुनिश्चित की जानी होगी।**

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष में अद्यतन सकल आय के सापेक्ष **नवीनतम उपलब्ध आयकर दरों** के अनुसार शेष आयकर देयता का **लगभग निर्धारण** करते हुए माह नवम्बर–2022, दिसम्बर–2022, जनवरी–2023 एवं फरवरी 2023 के वेतन / पेंशन (वि0वि0 से आहरित) / ऐरियर आदि स्रोत से आयकर देयता की सम्पूर्ण कटौती अवश्य पूर्ण कर ली जाये। इसके अतिरिक्त **आगामी वित्तीय वर्ष यथा 2023–24 के प्रारम्भ से ही पूर्व वर्ष के सम्पूर्ण आयकर के 1 / 11 भाग की राशि के बराबर आयकर कटौती वेतन आदि स्रोत से स्वतः प्रारम्भ कर ली जाये।**

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अपने महाविद्यालय / विभाग के सभी शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को अवगत कराते हुऐ पूर्णरूपेण क्रियान्वयन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त उप नियंत्रक।
2. समस्त लेखाधिकारी।
3. समस्त सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार।
4. प्रोग्रामर, नियंत्रक कार्यालय, IFMS को इस पत्र को अपलोड करने के आशय से प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, वि0वि0 वेबसाइट, प्रौ0 महाविद्यालय, को इस पत्र को वि0वि0 वेबसाइट पर अपलोड करने के आशय से प्रेषित।
6. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नियंत्रक